

प्रेषिका,  
किरन बाला,  
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं० 09, मेरठ ।

सेवा में,  
रजिस्ट्रार जनरल,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद ।

द्वारा – माननीय जनपद न्यायाधीश,  
मेरठ ।

विषय– पासपोर्ट बनवाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय पर अवगत कराना है कि, मेरा पासपोर्ट दिनांक 24.02.2012 को जारी हुआ था जिसकी अवधि दिनांक 23.02.2022 को समाप्त हो चुकी है। पुनः पासपोर्ट बनवाने हेतु मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरी पुत्री कु० दात्री मेरे ऊपर निर्भर है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।  
सादर ।

दिनांक– 12.09.2022

भवदीया,

( किरन बाला )  
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय सं० 09, मेरठ ।

संलग्नक–

1. पासपोर्ट की छाया प्रति,
2. ई-स्टाम्प मूल रूप से
3. पासपोर्ट साइज फोटो (चार फोटो )





पंजीकरण  
विदेशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों को संपादन ही जाती है, फिर से निर्यात प्राप्तियां विदेशों/  
केन्द्र में अथवा पंजीकरण कराया।

देशवासियों  
का पत्राचार करने का अधिकार नहीं है। इस पत्राचार के बारे में किसी पत्राचार अधिकारी  
से संपर्क करना ही चाहिए। पत्राचार विदेशों में विदेशी पत्राचार अधिकारी को सौंपा जा सकता है।  
यदि पत्राचार करने का अधिकार नहीं है तो पत्राचार करने का अधिकार नहीं है।

पत्राचार करने का अधिकार नहीं है। इस पत्राचार के बारे में किसी पत्राचार अधिकारी  
से संपर्क करना ही चाहिए। पत्राचार विदेशों में विदेशी पत्राचार अधिकारी को सौंपा जा सकता है।  
यदि पत्राचार करने का अधिकार नहीं है तो पत्राचार करने का अधिकार नहीं है।

पत्राचार करने का अधिकार नहीं है। इस पत्राचार के बारे में किसी पत्राचार अधिकारी  
से संपर्क करना ही चाहिए। पत्राचार विदेशों में विदेशी पत्राचार अधिकारी को सौंपा जा सकता है।  
यदि पत्राचार करने का अधिकार नहीं है तो पत्राचार करने का अधिकार नहीं है।

**REGISTRATION**

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER  
THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

**CAUTION**

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF  
INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A  
PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING  
DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH  
IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY  
POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER  
OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE  
ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE  
IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY  
IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD TO THE NEAREST INDIAN  
MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE  
INQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian  
**KISHAN SINGH**

माता का नाम / Name of Mother  
**JAGBIRI DEVI**

पति का नाम / Name of Spouse  
**VIVEK SINGH**

पता / Address  
**A-8 SECTOR-23**

**SANJAY NAGAR PS KAVI NAGAR**

**GHAZIABAD U.P.**

पुराने पासपोर्ट का नं. और वसूले जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of issue

फाइल नं. / File No.  
**628600024012**

*Self Attest  
K. Balu  
12/9/22*

**A.D.J. Court No.-9**  
Muzaffarpur